सत्यमेव जयते

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
भारत सरकार / Government of India

12 मई, 2023

निर्देश

विषय: दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 (2018 का 6) के तहत हेडर और कंटेंट टेम्प्लेट के दुरुपयोग को रोकने के उपायों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i) और (v) के साथ पठित धारा 13 के तहत दिशानिर्देश।

एफ.सं. आरजी-25/(6)/2022-क्यूओएस - जबकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) (**इसके बाद "भादूविप्रा अधिनियम" के रूप में संदर्भित**) **की धारा** 3 **की उप-धारा**(1) **के अंतर्गत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण** (**इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित**) **को अन्य बातों के साथ-साथ दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए सुनिश्चित कार्यों जिसमे अन्य बातों के साथ साथ; विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतर-संबंध सुनिश्चित करना; सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित करना और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवाओं का आवधिक सर्वेक्षण करना ताकि दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके शामिल है; का निर्वहन सौंपा गया है।**

2. **और जबकि प्राधिकरण ने**, धारा 36 **के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण को विनियमित करने के लिए, भादूविप्रा अधिनियम की धारा** 11 **की उप-धारा**(1) **के खंड (ख) के उप-खंड**(v) **और उप-धारा** (1) **के खंड**(ग) **के साथ पठित, दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम**, 2018 (2018 **का** 6) **दिनांक** 19 **जुलाई**, 2018 (**बाद में "विनियम" के रूप में संदर्भित**) **बनाया**;

3. **और जबकि विनियमों के विनियम 17 में प्रावधान है कि प्राधिकरण एक्सेस प्रदाताओं को किसी भी समय सीओपी में परिवर्तन करने का निर्देश दे सकता है और एक्सेस प्रदाता ऐसे परिवर्तनों को शामिल करेगा और इस संबंध में जारी निर्देश की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर संशोधित सीओपी जमा करेगा;**

4. **और जबकि, प्राधिकरण ने भादूविप्रा अधिनियम की धारा** 11 **की उप-धारा** (1) **के खंड (ख) के उप-खंड** (i) **और** (v) **के साथ पठित धारा** 13 **के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विनियमों के प्रावधानों ने हेडर और कंटेंट टेम्पलेट से संबंधित सभी एक्सेस प्रदाताओं को एक निर्देश संख्या** RG-25/(6)/2022-QoS **दिनांक** 16 **फरवरी**, 2023 **जारी किया, और उक्त निर्देश की एक प्रति इस निर्देश के अनुबंध के रूप में संलग्न है**;

5. और जबकि, दिनांक 16 फरवरी, 2023 के उक्त निर्देश के जारी होने के बाद, प्राधिकरण को विभिन्न प्रधान एकाइयों और एक्सेस प्रदाताओं से, अभ्यावेदन प्राप्त हुए, जो कि जेसीओआर की चर्चा सहित पूर्व की चर्चाओं में प्राधिकरण के ध्यान में नहीं लाए गए थे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि-

(क) काफी अच्छी संख्या में वास्तविक टेम्पलेट हैं, जैसे आईआरसीटीसी टिकटिंग जानकारी, स्टॉक ट्रेडिंग जानकारी, गन्ना खरीद और निपटान के संबंध में जानकारी, आदि के लिए टेम्पलेट, जिसके लिए तीन से अधिक परिवर्तनीय भाग की आवश्यकता होती है और इसलिए प्राप्तकर्ताओं को इच्छित संदेश देने के लिए कंटेंट में तीन परिवर्तनीय भागों तक की सीमा पर्याप्त नहीं हैं; और

(ख) कुछ परिवर्तनीय भाग जैसे नाम, पता, आदि के लिए तीस से अधिक अक्षरों की आवश्यकता होती है, इस तरह दो लगातार परिवर्तनीय भाग की अनुमति नहीं देने से नाम, पता आदि के संबंध में जानकारी की पूर्णता प्रतिबंधित हो जाती है;

6. और जबकि उक्त अभ्यावेदनों के अवलोकन के पश्चात, प्राधिकरण ने पाया है कि-

(क) किसी कंटेंट टेम्पलेट में अनुमत परिवर्तनीय भागों की अधिकतम संख्या और उनके प्लेसमेंट की समीक्षा करने की आवश्यकता है; और

(ख) साथ ही, परिवर्तनीय भागों के उपयोग पर चेक रखने की भी आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल संदेश की मंशा/सूचना, जिसके लिए कंटेंट टेम्पलेट को मंजूरी दी गई थी, बिचौलियों द्वारा नहीं बदली गई है;

7. इसलिए, अब, अपने पहले के निर्देश दिनांक 16 फरवरी 2023 की निरन्तरता में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24), की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i) और (v) के साथ पठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 के प्रावधानों के तहत, सभी एक्सेस प्रदाताओं को निर्देशित करते हैं कि –

(क) विशेष परिस्थितियों में और प्रधान एकाइयों से उचित औचित्य के कारण और मांग पर, कंटेंट टेम्प्लेट में तीन से अधिक परिवर्तनीय भाग की अनुमति दें, इस शर्त के साथ कि-

(i) नमूना संदेश की जांच के बाद, अधिक परिवर्तनीय भागों के कारणों और उचित औचित्य को एक्सेस प्रदाता द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा और ऐसा प्राधिकारी कंटेंट टेम्पलेट के अनुमोदन के लिए नामित प्राधिकारी से अलग होगा;

(ii) संदेश टेम्प्लेट में प्रत्येक वेरिएबल को उस उद्देश्य के लिए पूर्व-टैग किया जाना चाहिए जिसका उपयोग करने का प्रस्ताव है और पूर्व-टैगिंग में परिभाषित के अलावा कोई भी जानकारी वेरिएबल में शामिल नहीं की जाएगी;

(iii) कंटेंट टेम्पलेट में न्यूनतम तीस प्रतिशत भाग निश्चित वर्ण होंगे;

(ख) जहां एक परिवर्तनीय भाग की कंटेंट को तीस वर्णों की सीमा के भीतर रखना संभव नहीं है, उचित परीक्षण और नमूना संदेश द्वारा समर्थित औचित्य के बाद एक ही प्रकार के, एक से अधिक सन्निहित परिवर्तनीय भाग की अनुमति दें;

(ग) कंटेंट टेम्पलेट में केवल श्वेतसूची वाले यूआरएल/एपीके/ओटीटी लिंक/कॉल बैक नंबरों का उपयोग सुनिश्चित करें;

(घ) सुनिश्चित करें कि, निश्चित और परिवर्तनीय दोनों हिस्सों वाले यूआरएल के मामले में, यूआरएल का तय हिस्सा श्वेतसूची में हो;

(ङ) कंटेंट टेम्पलेट्स के उपयोग की निगरानी करें और विशेष टेम्पलेट्स के किसी भी दुरुपयोग को रोकें; और

(च) तदनुसार पंद्रह दिनों के भीतर सीओपी को अद्यतन करें और इस निर्देश के जारी होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर उपरोक्त निर्देश की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

ह०/-

(जयपाल सिंह तोमर)

सलाहकार (क्यूओएस-II)

प्रति,

सभी एक्सेस प्रदाता (बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित)